"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 जुलाई 2017—आषाढ़ 16, शक 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हरिलाल पटेल (Harilal Patel), आत्मज-श्री मावजी पटेल, उम्र 66 वर्ष, निवासी-सर्वोदय ट्रेडर्स, न्यू टिम्बर मार्केट, फाफाडीह, रायपुर, तहसील व जिला-रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड में मेरा नाम हरिलाल पटेल, (Harilal Patel), आ. श्री मावजी पटेल (Mavji Patel), व मेरी जन्म तिथि 14-04-1951 अंकित है जो कि सही है. जबकि ईन्कम टैक्स ई-फायलिंग साइट में मेरी जन्मतिथि 05-03-1944 तथा पिता का नाम "भानजी पटेल" और पता में "श्री भगवती सॉ मिल" दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. इस प्रकार मेरे शासकीय व अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में भिन्नता है. मैं अपने नाम/उपनाम को परिवर्तित कर नया नाम हरिलाल पटेल आ. श्री मावजी पटेल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे हरिलाल पटेल आ. श्री मावजी पटेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
हरिलाल पटेल (Harilal Patel) पिता-श्री भानजी पटेल (Shri Bhanji Patel) निवासी-श्री भगवती शॉ मिल, (Shri Bhagwati Saw Mill) न्यू-टिम्बर मार्केट, (New Timber Market) फाफाडीह (Fafadih) रायपुर छ. ग. (Raipur) (C. G.) पिन-492009	हरिलाल पटेल (Harilal Patel) पिता-श्री मावजी पटेल (Shri Mavji Patel) निवासी-सर्वोदय ट्रेडर्स, (Sarvoday Traders) न्यू-टिम्बर मार्केट, (New Timber Market) फाफाडीह (Fafadih) रायपुर छ. ग. (Raipur) (C. G.) पिन-492009

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती मागरेट अमरा सत्संगी, जौजे श्री शिव नारायण सत्संगी, पिता-स्व. अमराजी, उम्र 54 वर्ष, साकिन-क्वा. नं.-14/सी, सड़क नं.-4, सेक्टर-10, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पेनकार्ड व आधार कार्ड में मेरा पूरा नाम मागरेट अमरा सत्संगी दर्ज है, किन्तु मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं बी. एस. पी. के सर्विस रिकार्ड में मेरा छोटा नाम एम. ए. सत्संगी दर्ज हो गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, मैं अपने नाम को परिवर्तित कर पूरा नाम श्रीमती मागरेट अमरा सत्संगी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती मागरेट अमरा सत्संगी जौजे श्री शिव नारायण सत्संगी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

एम. ए. सत्संगी
(M. A. Satsangi)
पति-श्री शिव नारायण सत्संगी
निवासी-क्वा. नं. 14 सी, सड़क नं.-4,
सेक्टर-10, भिलाई,
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

मागरेट अमरा सत्संगी
(Magreat Amra Satsangi)
पति-श्री शिव नारायण सत्संगी
निवासी-क्वा. नं. 14 सी, सड़क नं. -4,
सेक्टर-10, भिलाई,
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजपाल बघेल आत्मज-स्व. जी. एस. बघेल, उम्र 50 वर्ष, निवासी- सीनियर एम. आई. जी.-16 कबीर नगर, रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम राजपाल बघेल दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम राजपाल सिंह (Rajpal Singh) दर्ज है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम/उपनाम को परिवर्तित कर नया नाम राजपाल बघेल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे राजपाल बघेल, आ. स्व. जी. एस. बघेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

राजपाल सिंह
पिता-स्व. जी. एस. बघेल
निवासी-सीनियर एम. आई. जी.-16
कबीर नगर,
रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

राजपाल बघेल
पिता-स्व. जी. एस. बघेल
निवासी-सीनियर एम. आई. जी.-16
कबीर नगर,
रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अर्चना वर्मा, ध. प. श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा, उम्र 42 वर्ष, निवासी-फ्लैट 401, गार्डन अपार्टमेंट, मैत्रीकुंज, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) पिन-490006 की हूं. यह कि मेरा वास्तविक नाम श्रीमती अर्चना वर्मा पति-श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा है यही नाम मेरे आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेनकार्ड व अन्य शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, मेरे पति श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा, आ. स्व. बी. डी. वर्मा, भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत है तथा उनके विभागीय अभिलेख/सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम-अर्चना देवेन्द्र वर्मा पति श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती अर्चना वर्मा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती अर्चना वर्मा ध. प. श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
Archana Devendra Verma flat No.-401, Garden Appartment, Maitri Kunj, Risali Bhilai Distt.- Durg (C. G.) Pin-490006	Smt. Archana Verma W/o Shri Devendra Kumar Verma flat No.-401, Garden Appartment, Maitri Kunj, Risali Bhilai Distt.- Durg (C. G.) Pin-490006

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, डुमनलाल पाटनवार, आत्मज श्री राम प्यारे पाटनवार, उम्र 58 वर्ष, निवासी-ग्राम भैसमा, अंजोरी पाली, तहसील कोरबा, जिला कोरबा (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम डूमन लाल आ. राम प्यारे पाटनवार था तथा यही नाम मेरे पासपोर्ट में दर्ज है, किन्तु मैंने अपने पुराने नाम को परिवर्तित कर नया नाम डुमनलाल पाटनवार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे डुमनलाल पाटनवार, पिता राम प्यारे पाटनवार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
डूमन लाल पिता-राम प्यारे पाटनवार निवासी-ग्राम-भैसमा, अंजोरी पाली, तह. व जिला-कोरबा (छ. ग.) पिन-495674	डुमन लाल पाटनवार पिता-राम प्यारे पाटनवार निवासी-ग्राम-भैसमा, अंजोरी पाली, तह. व जिला-कोरबा (छ. ग.) पिन-495674

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, महेश कुमार चौरसिया पिता श्री आर. आर. चौरसिया, उम्र 55 वर्ष, निवासी-क्वाटर नं. 14/बी, सड़क नं. 11, सेक्टर 1, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र वर्तमान में शिक्षा हेतु अध्ययनरत हैं, जिसके शासकीय दस्तावेजों में उसका नाम अंचल कुमार पिता महेश कुमार चौरसिया दर्ज है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम काव्यांश चौरसिया रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को काव्यांश चौरसिया पिता श्री महेश कुमार चौरसिया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

अंचल कुमार (Anchal Kumar)
पिता-श्री महेश कुमार चौरसिया
निवासी-क्वाटर नं. 14/बी, सड़क नं. 11,
सेक्टर 1, भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

काव्यांश चौरसिया (Kavyansh Chourasia)
पिता-श्री महेश कुमार चौरसिया
निवासी-क्वाटर नं. 14/बी, सड़क नं. 11,
सेक्टर 1, भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भारत भूषण सूर्यवंशी, आत्मज-श्री भुनेश्वर लाल सूर्यवंशी, उम्र 58 वर्ष, जाति-गोंड, निवासी-97/ए, वार्ड क्रमांक 58, इस्पात क्लब, रिसाली सेक्टर, सिविक सेंटर, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम भारत भूषण सूर्यवंशी दर्ज है, किन्तु बी. एस. पी. के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम भारत भूषण दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया/उपनाम भारत भूषण सूर्यवंशी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे भारत भूषण सूर्यवंशी आ. श्री भुनेश्वर लाल सूर्यवंशी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

भारत भूषण
पिता-श्री भुनेश्वर लाल
निवासी-97/ए, वार्ड क्रमांक-58,
इस्पात क्लब, रिसाली सेक्टर,
सिविक सेंटर, भिलाई
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

भारत भूषण सूर्यवंशी
पिता-श्री भुनेश्वर लाल सूर्यवंशी
निवासी-97/ए, वार्ड क्रमांक-58,
इस्पात क्लब, रिसाली सेक्टर,
सिविक सेंटर, भिलाई
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, खोम प्रसाद तिवारी आत्मज श्री सतानंद तिवारी, निवासी-"श्रीनिवास" सी-81 व्ही. आई. पी. इस्टेट खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर तहसील व जिला-रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह पूर्व में मुझे खोम प्रसाद शर्मा, आ. श्री सतानंद शर्मा के नाम से जाना जाता था तथा यही नाम मेरे प्राइवेट और सरकारी अभिलेखों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम खोम प्रसाद तिवारी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे खोम प्रसाद तिवारी आत्मज श्री सतानंद तिवारी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

खोम प्रसाद शर्मा
पिता-श्री सतानंद शर्मा
निवासी-"श्रीनिवास" सी-81,
व्ही. आई. पी. इस्टेट खम्हारडीह,
शंकर नगर, रायपुर
तहसील व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

खोम प्रसाद तिवारी
पिता-श्री सतानंद तिवारी
निवासी-"श्रीनिवास" सी-81,
व्ही. आई. पी. इस्टेट खम्हारडीह,
शंकर नगर, रायपुर
तहसील व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शशी कोरी, ध. प. श्री रामाधार कोरी, उम्र 52 वर्ष, निवासी-सड़क नं- 01, प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, टी. सी. प्रमाण पत्र में मेरा नाम शशी कोरी दर्ज है जो कि सही है, किन्तु मेरे पति के सर्विस रिकार्ड व अन्य शासकीय प्रमाण पत्र, दस्तावेजों में मेरा नाम शशीकला कोरी दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है तथा पूर्व में यही नाम से मुझे जाना-पहचाना जाता था. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती शशी कोरी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती शशी कोरी, ध. प. श्री रामधार कोरी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमती शशीकला कोरी
पति-श्री रामाधार कोरी
निवासी-सड़क नं- 01,
प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई,
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)
पिन-490006

नया नाम

श्रीमती शशी कोरी
पति-श्री रामाधार कोरी
निवासी-सड़क नं- 01,
प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई,
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)
पिन-490006

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 24 मई 2017

[छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि./2017/1276.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/2394 दिनांक 20-11-2014 के तहत् सिंधु थ्रिफ्ट साख सहकारी समिति मर्या. जरहाभाटा, सिंधी कॉलोनी बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 310 दिनांक 26-07-2012 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत् श्री डी. बी. ढारगवे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् सिंधु थ्रिफ्ट साख सहकारी समिति मर्या. जरहाभाटा, सिंधी कॉलोनी बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 310 दिनांक 26-07-2012 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश दिनांक 24-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 12 जून 2017

क्रमांक/परिसमापन/पुर्नजीवित/2017/1369.— परिसमापनाधीन/शान्तनु मछुआ सहकारी समिति मर्या. सेमरताल पं. क्र./3563 दिनांक 24-12-1994 विकास खण्ड बिल्हा, जिला-बिलासपुर को पुर्नजीवित किये जाने हेतु परिसमापक कु. पूजा बोथरा, सहकारी निरीक्षक, द्वारा पुर्नजीवित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा दिनांक 23-03-2017 को समिति की आमसभा में संस्था को पुर्नजीवित किया जाकर सोसायटी अधिनियम/नियम एवं पंजीकृत उपविधि तथा समय-समय पर शासन द्वारा बनाये गये नियमों के तहत् कार्य करने का निर्णय लिया गया है एवं वर्ष 2014-15 तक का अंकेक्षण कराया जा चुका है तथा 15-16 एवं 16-17 के अंकेक्षण हेतु पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है. अत: सदस्यों के हित में परिसमापक, पूजा बोथरा, सहकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन से मै सहमत हूँ.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (4) के तहत् शान्तनु मछुआ सहकारी समिति मर्या. सेमरताल पं. क्र.. 3563 दिनांक 24-12-1994 विकास खण्ड बिल्हा, जिला-बिलासपुर को पुर्नजीवित करता हूँ एवं आगामी 03 माह तक संस्था के कार्य संचालन हेतु तात्कालीन बोर्ड (संचालक मण्डल) को अधिकृत करता हूँ.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.